



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032026-270707
CG-DL-E-06032026-270707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1121]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947

No. 1121]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 मार्च, 2026

का.आ. 1173(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक, राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक है;

अतः अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने के अपने आशय का एतद्वारा नोटिस देती है;

उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने पर यदि कोई आपत्ति हो तो, उसे इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो महीने के भीतर, उक्त प्राचीन स्मारक में रूचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली 110001 को प्रेषित किया जा सकता है (dg.asi@gov.in);

इस अधिसूचना के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि किसी व्यक्ति से यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा |

अनुसूची

| क्र.सं | राज्य | जिला | स्थान | स्मारक का नाम | संरक्षण में शामिल किये गए राजस्व भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल (एकड़ में) | स्वामित्व | सीमाएं |
|-------------|----------|--------|---------|---------------|--|----------------------|---------------------------|---|
| 1. | तेलंगाना | मुलुगू | पालमपेट | गोल्लाला गुडी | सर्वे संख्या 417/3 (भाग) | 0.25 एकड़ | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण | उत्तर: सर्वे संख्या 417/3 और 417/1/2 दक्षिण: सर्वे संख्या 417/1 पूर्व: सर्वे संख्या 417/1/2 पश्चिम: सड़क |
| कुल क्षेत्र | | | | | | 0.25 एकड़ | | |

[फा. सं. टी-19012/4/2024-स्मा.]

यदुवीर सिंह रावत, महानिदेशक

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2026

S.O. 1173(E).— Whereas, the Central Government is of the opinion that the ancient monument, as specified in the site plan and schedule annexed hereto, is a monument of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance;

Any objection, to the declaration of the said ancient monument to be of national importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification, by any interested person in the said ancient monument; to the Director General, Archaeological Survey of India, 24 Tilak Marg, New Delhi-110001 (dg.asi@gov.in);

The objections, if any, received from any person with respect to this notification within the period so specified shall be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

| Sl. No | State | District | Locality | Name of Monument | Revenue Survey number included under protection | Area (in Acre) | Ownership | Boundaries |
|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Telangana | Mulugu | Palampet | Gollala Gudi | Survey No. 417/3 (Part) | 0.25 Acre | Archaeological Survey of India | North: Survey No. 417/3 and 417/1/2 South: Survey No. 417/1 East: Survey No. 417/1/2 West: Road |
| Total Area | | | | | | 0.25 Acre | | |

[F. No. T-19012/4/2024-M]

YADUBIR SINGH RAWAT, Director General